

[2023] 2 एस. सी. आर. 369

ए.

राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन और ओआरएस।

बी.

दीप्ति देवधर

(सिविल अपील सं. 2023 का 413) 17 फरवरी, 2023

बी.

**[एम. आर. शाह और हिमा कोहली, जे. जे.]**

सेवा कानून-प्रत्यर्थी जो रक्षा अनुसंधान विकास संगठन (डी. आर. डी. ओ.) में वैज्ञानिक 'जी' के रूप में कार्यरत थे, उन्हें एक वर्ष की परिवीक्षा पर राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन (एन. टी. आर. ओ.) में वैज्ञानिक 'एच' के रूप में चुना गया और नियुक्त किया गया-हालाँकि, उन्हें पूर्व-परिपक्व रूप से एन. टी. आर. ओ. से अपने मूल संवर्ग-डी. आर. डी. ओ. में वापस भेज दिया गया।<sup>19</sup> - प्रत्यर्थी ने एन. टी. आर. ओ. से उसे बहाल करने और उसके आवेदन को बी. आर. एस. के लिए तीन महीने के नोटिस के रूप में मानने का अनुरोध किया-उसने अन्य बातों के साथ-साथ एन. टी. आर. ओ. के आदेश dtd.12.02 को चुनौती देते हुए सी. ए. टी. के समक्ष ओ. ए. दायर किया।<sup>19</sup>, खारिज-प्रत्यर्थी द्वारा दायर रिट याचिका, उच्च न्यायालय द्वारा अनुमत-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गया: उच्च न्यायालय ने आदेश dtd.12.02 पर विचार करने में गलती की।<sup>19</sup>, निर्वहन सरलीकरण के आदेश के रूप में- यह आदेश देने में भी गलती हुई कि प्रत्यर्थी एन. टी. आर. ओ. द्वारा भुगतान किए जाने वाले अपने अंतिम लाभों की गणना करने के लिए डी. आर. डी. ओ. में प्रदान की गई पिछली सेवाओं के लाभ सहित सभी परिणामी लाभों का हकदार होगा-इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी करते हुए गंभीर त्रुटि की कि वह इस आधार पर अनुमत सभी लाभों का हकदार होगी कि उसने वैज्ञानिक 'एच' का पद संभाला था और उस पद पर प्राप्त अंतिम वेतन उसके सभी लाभों को निपटाने का मानदंड होगा-उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देश स्वयं विरोधाभासी हैं-एक बार जब प्रत्यर्थी को एन. टी. आर. ओ. से मुक्त कर दिया गया था और उसने डी. आर. डी. ओ. में वैज्ञानिक 'जी' के रूप में कर्तव्य के लिए रिपोर्ट किया था, उसके बाद उसे यह दावा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती कि उसने एन. टी. में वैज्ञानिक 'एच' के रूप में काम करना जारी रखा था।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

369

370 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 2 एस. सी. आर.

ए.

सेवा कानून-तकनीकी त्यागपत्र-आयोजित:उस पद से तकनीकी त्यागपत्र देना जब कर्मचारी परिवीक्षा पर केंद्र/राज्य के किसी अन्य संगठन में अपनी नियुक्ति पर काम कर रहा था और नए संगठन में परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूरी होने और/या नए प्रतिष्ठान में स्थायी रूप से नियुक्त होने तक ग्रहणाधिकार जारी रखने के लिए, कर्मचारी के हित में है ताकि यदि उसे स्थायी नहीं बनाया जाता है और/या परिवीक्षा अवधि के दौरान राहत नहीं दी जाती है, तो उसे नौकरी नहीं गंवानी पड़ेगी और वह वापस जा सकता है और पहले के प्रतिष्ठान में ड्यूटी में शामिल हो सकता है-तत्काल मामले में, एनटीआरओ में वैज्ञानिक-एच के रूप में परिवीक्षा पर नियुक्ति पर डीआरडीओ में वैज्ञानिक-जी के पद से तकनीकी त्यागपत्र जमा करने पर, प्रत्यर्थी के पद पर ग्रहणाधिकार बना रहेगा।

बी.

सी.

राजस्थान राज्य और अन्न बनामएस. एन. तिवारी और अन्य (2009) 4 एस. सी. सी. 700; रामलाल खुराना (मृत) एल. आर. द्वारा। बनाम पंजाब राज्य और अन्य।, (1989) 4 एससीसी 99 -

संदर्भित किया गया।

डी.

मामला कानून संदर्भ

**(2009) 4 एससीसी 700**

पैरा 4.9 को संदर्भित किया गया

**(1989) 4 एससीसी 99**

पैरा 4.9 को संदर्भित किया गया

ई.

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय:सिविल अपील No.413

2023.

2021 के डब्ल्यू. पी. No.10867 में बेंगलुरु में कर्नाटक उच्च न्यायालय के दिनांकित <आई. डी. 1 के निर्णय और आदेश से।

सुश्री ऐश्वर्या भाटी, संजय जैन, A.S.Gs।मुकेश कुमार मरोरिया, रजत नायर, सुश्री अलका अग्रवाल, केतन पॉल, अशोक पाणिग्रही, सुश्री शिविका मेहरा, मानवेंद्र सिंह, अधिवक्ता। अपीलार्थीगण के लिए।गोपाल शंकरनारायणन, वरिष्ठ अधिवक्ता, अंकित आनंदराज शाह, विवेक बेनीवाल, सुश्री अदिति गुप्ता, अवनीश उपाध्याय, करण शंकर मणि, अश्विन गर्ग, अधिवक्ता।प्रत्यर्थी के लिए।

एफ.

जी.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. आर. शाह, जे.

1. वर्तमान अपील राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन और अन्य लोगों द्वारा दायर की गई है, जो दुखी और असंतुष्ट महसूस कर रहे हैं।

एच.

371

राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन बनाम दीप्ति देवधर [एम. आर. शाह, जे.] ए.

कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा बेंगलुरु में रिट याचिका संख्या 10867/2021 में पारित किए गए विवादित निर्णय और आदेश के साथ, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी द्वारा यहां प्रस्तुत की गई उक्त रिट याचिका को स्वीकार करते हुए और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, बेंगलुरु पीठ, बेंगलुरु (इसके बाद 'न्यायाधिकरण' के रूप में संदर्भित) द्वारा ओ. ए. संख्या 170/1318 2019 को खारिज करते हुए पारित किए गए दिनांकित 31.05.2021 के आदेश को दरकिनार करते हुए निर्देश दिया है कि अपीलकर्ता (ओं) द्वारा जारी किए गए 12.02.2019 के आदेश को निर्वहन सरलीकरण के आदेश के रूप में पढ़ा जाएगा और वह सभी परिणामी लाभों की हकदार होगी, जिसमें पिछली सेवा का लाभ भी शामिल है जो उसने अपने अंतिम लाभों की गणना के लिए डी. आर. डी. ओ. में प्रदान किया था। उच्च न्यायालय ने आगे यह स्पष्ट किया है कि प्रत्यर्थी-मूल रिट याचिकाकर्ता ऐसे सभी लाभों का

हकदार होगा जो उसे इस आधार पर अनुमत हैं कि वह वैज्ञानिक 'एच' के पद पर थी और उस पद पर अंतिम वेतन उसके सभी लाभों के निपटारे के लिए मानदंड होगा।

बी.

सी.

2. संक्षेप में वर्तमान अपील की ओर ले जाने वाले तथ्य इस प्रकार हैं -

इसके अंतर्गत:

डी.

कि इसमें प्रत्यर्थी-मूल रिट याचिकाकर्ता वैज्ञानिक 'बी' के रूप में 12.09.1988 पर रक्षा अनुसंधान विकास संगठन (इसके बाद 'डीआरडीओ' के रूप में संदर्भित) की सेवाओं में शामिल हुए। कि उन्हें डी. आर. डी. ओ. के साथ काम करते हुए आवधिक पदोन्नति मिली। आई. डी. 1 पर, उन्हें साइंटिस्ट 'जी' के रूप में पदोन्नत किया गया था और वे बेंगलोर में डी. आर. डी. ओ. के सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स (संक्षेप में, 'सी. ए. आई. आर. ') में बुद्धिमान प्रणाली और रोबोटिक्स प्रभाग की प्रमुख थीं। जनवरी, 2018 के महीने में, एन. टी. आर. ओ. ने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 15 में वैज्ञानिक 'एच' के दो पदों को भरने के लिए एक भर्ती अधिसूचना जारी की। प्रारंभ में, अधिसूचना में कहा गया था कि भर्ती अल्पकालिक अनुबंध के आधार पर प्रतिनियुक्ति पर की जानी थी। हालाँकि, बाद में, जनवरी, 2018 के महीने में इन पदों को प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि सहित)/अवशोषण पर भरने के लिए एक शुद्धिपत्र प्रकाशित किया गया था, जिसमें विफल रहने पर, प्रत्यक्ष भर्ती के आधार पर। मूल रिट याचिकाकर्ता, जो सी. ए. आई. आर., डी. आर. डी. ओ. में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 14 में वैज्ञानिक 'जी' का पद संभाल रही थी, ने अपने मूल विभाग, यानी डी. आर. डी. ओ. के माध्यम से एन. टी. आर. ओ. में वैज्ञानिक 'एच' के पद के लिए आवेदन किया। एनटीआरओ में वैज्ञानिक 'एच' के रूप में नियुक्ति के लिए मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) की मंजूरी के परिणामस्वरूप, मूल रिट याचिकाकर्ता को एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा सहित नियुक्ति के प्रस्ताव में उल्लिखित नियमों और शर्तों पर नियुक्ति का प्रस्ताव जारी किया गया था। वैज्ञानिक 'एच' के रूप में चुने जाने और नियुक्त होने पर

ई.

एफ.

जी.

एच.

प्रत्यक्ष भर्ती के आधार पर, प्रत्यर्थी-मूल रिट याचिकाकर्ता ने डी. आर. डी. ओ. में वैज्ञानिक 'जी' के पद से अपना तकनीकी इस्तीफा दे दिया, जिसे 22.6.2018 पर स्वीकार कर लिया गया और डी. आर. डी. ओ. ने उन्हें एन. टी. आर. ओ. में नई नियुक्ति लेने के लिए मुक्त कर दिया।

2.1 मूल रिट याचिकाकर्ता एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि के साथ प्रत्यक्ष भर्ती के आधार पर 26.2.2018 पर वैज्ञानिक 'एच' के रूप में एनटीआरओ में शामिल हुआ। हालाँकि, इसके बाद जब वह एन. टी. आर. ओ. में वैज्ञानिक 'एच' के रूप में परिवीक्षा पर थीं, ए. सी. सी. ने दिनांक 12.02.2019 के आदेश के माध्यम से एन. टी. आर. ओ. में वैज्ञानिक 'एच' (परिवीक्षा पर) के पद से उनके मूल विभाग संवर्ग-डी. आर. डी. ओ. में समय से पहले प्रत्यावर्तन के लिए तत्काल प्रभाव से मंजूरी दे दी। तदनुसार, प्रत्यर्थी को अपने मूल संवर्ग-डी. आर. डी. ओ. को रिपोर्ट करने के निर्देशों के साथ एन. टी. आर. ओ. से 12.02.2019 पर मुक्त कर दिया गया। उसी के अनुसार, उन्होंने सी. ए. आई. आर., डी. आर. डी. ओ. में <आई. डी. 1 पर ड्यूटी के लिए रिपोर्ट किया और साथ ही उन्होंने एन. टी. आर. ओ. से स्वदेश लौटने के बाद डी. आर. डी. ओ. में अपनी नियुक्ति के लिए औपचारिक आदेश जारी करने के लिए अध्यक्ष, डी. आर. डी. ओ. से अनुरोध करते हुए एक और आवेदन प्रस्तुत किया। उन्होंने डी. आर. डी. ओ. से उन्हें डी. आर. डी. ओ. में वैज्ञानिक 'एच' के पद पर उपयुक्त पद पर नियुक्त करने के लिए औपचारिक आदेश जारी करने का भी अनुरोध किया। औपचारिक आदेश की प्रतीक्षा करते हुए, उन्होंने डी. आर. डी. ओ. से 19.2.2019 पर तीन महीने की छुट्टी का अनुरोध किया। दिनांक आई. डी. 2 की मंजूरी के साथ, एन. टी. आर. ओ. ने डी. आर. डी. ओ. मुख्यालय से एन. टी. आर. ओ. (प्रोबेशन पर वैज्ञानिक 'एच') से समय से पहले स्वदेश लौटने पर वैज्ञानिक 'जी' के रूप में मूल संवर्ग में डी. आर. डी. ओ. डब्ल्यू. ई. एफ. में शामिल होने की मंजूरी दे दी। इसके बाद, मूल रिट याचिकाकर्ता ने एन. टी. आर. ओ. से अनुरोध किया कि वह उसे बहाल करे और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए 19.03.2019 के उसके आवेदन को 13.02.2019 से तीन महीने के नोटिस के रूप में माने।

बी.

सी.

डी.

ई.

2.2 ऐसा प्रतीत होता है कि अप्रैल, 2019 के महीने में, डी. आर. डी. ओ. में वैज्ञानिक 'जी' से वैज्ञानिक 'एच' में पदोन्नति के लिए मूल रिट याचिकाकर्ता के मामले पर विचार किया गया और उसे पदोन्नति के लिए मूल्यांकन में भाग लेने के लिए सूचित किया गया। मूल रिट

याचिकाकर्ता ने इस तरह के प्रचार के लिए अपना जैव-डेटा प्रस्तुत किया और मूल्यांकन में भाग लिया। हालाँकि, उन्हें 'अयोग्य' पाया गया। दिनांक 13.11.2019 के संचार के माध्यम से, प्रत्यर्थी को 16.12.2019 द्वारा झूटी में शामिल होने के लिए CIAR, DRDO को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया था, जिसमें विफल रहने पर उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जानी थी। इसके बाद 25.11.2019 पर, प्रत्यर्थी ने कैट, बेंगलुरु के समक्ष OA दायर किया, जिसमें एनटीआरओ के दिनांकित 12.02.2019 (उसे डीआरडीओ को वापस भेजना), डी. आर. डी. ओ. के दिनांकित 13.11.2019 के आदेश (जिसके द्वारा उसे 16.12.2019 द्वारा झूटी में शामिल होने के लिए सी. आई. ए. आर., डी. आर. डी. ओ. को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया था) को चुनौती दी गई और उसके दिनांकित 19.03.2019 के वी. आर. एस. आवेदन को स्वीकार करने का निर्देश मांगा गया।

एफ.

जी.

एच.

373

राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन बनाम दीप्ति देवधर [एम. आर. शाह, जे.] ए.

ए.

न्यायाधिकरण के समक्ष, उनका पूरा मामला यह था कि उन्हें गलत तरीके से समय से पहले वापस भेज दिया गया और वैज्ञानिक 'जी' के रूप में डी. आर. डी. ओ. को भेज दिया गया। यह प्रत्यर्थी-मूल रिट याचिकाकर्ता की ओर से विशिष्ट मामला था कि उनके वीआरएस आवेदन को डी. आर. डी. ओ. में वैज्ञानिक 'एच' के रूप में माना जाना चाहिए था।

2.3 न्यायाधिकरण ने इस मामले पर विचार करते हुए कहा कि दिनांक 1 का आदेश उनकी परिवीक्षा अवधि के दौरान छुट्टी का एक आदेश था और चूंकि उन्होंने पहले डी. आर. डी. ओ. से तकनीकी त्यागपत्र दिया था और/या तकनीकी त्यागपत्र देने पर डी. आर. डी. ओ. के साथ नियुक्ति की थी, इसलिए उनका डी. आर. डी. ओ. के साथ ग्रहणाधिकार बना रहा और इसलिए उन्हें डी. आर. डी. ओ. को वापस भेज दिया गया। न्यायाधिकरण ने यह भी पाया और कहा कि एक बार जब प्रत्यर्थी ने अपने मूल संगठन को वापस रिपोर्ट किया और उसके बाद वैज्ञानिक 'एच' के पद पर पदोन्नति की मांग की और उसके बाद उसे 'अयोग्य' पाया गया, तो उसके लिए यह तर्क देना खुला नहीं था कि उसे स्वेच्छा से वैज्ञानिक 'एच' के पद पर डी. आर. डी. ओ. द्वारा सेवानिवृत्त किया जाना चाहिए। नतीजतन, न्यायाधिकरण ने प्रत्यर्थी द्वारा दायर ओ. ए. को खारिज कर दिया। न्यायाधिकरण द्वारा पारित निर्णय और आदेश वर्तमान रिट याचिका के माध्यम से उच्च न्यायालय के समक्ष विषय था। विवादित निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने न्यायाधिकरण द्वारा पारित निर्णय और आदेश को यह कहते हुए दरकिनार कर दिया कि एक बार प्रत्यर्थी को प्रत्यक्ष भर्ती के आधार पर एन. टी. आर.

ओ. में वैज्ञानिक 'एच' के रूप में नियुक्त किया गया था, तो एन. टी. आर. ओ. उसे उस निचले पद पर वापस नहीं भेज सकता था जो वह मूल रूप से डी. आर. डी. ओ. में रखती थी। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि सीधी भर्ती के मामले में प्रत्यावर्तन की अवधारणा उत्पन्न नहीं होगी और इसलिए, वैज्ञानिक 'जी' के रूप में उनका डी. आर. डी. ओ. में प्रत्यावर्तन अवैध था। हालाँकि, इसके बाद उच्च न्यायालय ने न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश को संशोधित किया है और आदेश दिया है कि 12.02.2019 दिनांकित आदेश को निर्वहन सरलीकरण के आदेश के रूप में पढ़ा जाएगा और वह अपनी अंतिम लाभों की गणना करने के लिए डी. आर. डी. ओ. में दी गई पिछली सेवा के लाभ सहित सभी परिणामी लाभों की हकदार होगी। उच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रत्यर्थी ऐसे सभी लाभों का हकदार होगा जो उसे इस आधार पर अनुमत हैं कि वह वैज्ञानिक 'एच' के पद पर थी और उस पद पर अंतिम वेतन उसके सभी लाभों के निपटारे के लिए मानदंड होगा। इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि मूल रिट याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने बी. आर. एस. आवेदन को स्वीकार करने के लिए प्रार्थना पर दबाव नहीं डाला।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

2.4 उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान

एच.

374

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 2 एस सी आर।

संगठन (एन. टी. आर. ओ.) और अन्य ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है। 3. एन. टी. आर. ओ. की ओर से उपस्थित विद्वान ए. एस. जी. सुश्री ऐश्वर्या भाटी ने जोरदार ढंग से कहा है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय ने 12.02.2019 के आदेश को आरोपमुक्त करने के आदेश के रूप में मानने का निर्देश देने में बहुत गंभीर त्रुटि की है। 3.1 सुश्री भाटी द्वारा यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया गया है कि एक बार जब प्रत्यर्थी को मूल

मूल विभाग, यानी, डी. आर. डी. ओ. में वापस भेज दिया गया और वास्तव में उसने डी. आर. डी. ओ. के साथ कर्तव्य फिर से शुरू कर दिया, तो प्रत्यर्थी एन. टी. आर. ओ. का कर्मचारी नहीं रह गया। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, उच्च न्यायालय ने दिनांकित आई. डी. 1 के आदेश को निर्वहन सरलीकरण के आदेश के रूप में मानने का निर्देश देने में एक गंभीर त्रुटि की है और आगे यह निर्देश दिया है कि वह सभी परिणामी लाभों की हकदार होगी, जिसमें पिछली सेवाओं का लाभ भी शामिल है जो उसने अपने अंतिम लाभों की गणना के लिए डी. आर. डी. ओ. में प्रदान की थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश डीओपीटी-एफआर-9 (13) द्वारा जारी प्रासंगिक कार्यालय ज्ञापन के विपरीत है।

बी.

सी.

डी.

3.2 यह प्रस्तुत किया जाता है कि डी. ओ. पी. टी. ओ. एम. दिनांक 21.07.2014 (परिवीक्षा और पुष्टि) में निर्धारित किया गया है कि परिवीक्षा अवधि के दौरान, नियुक्ति प्राधिकरण उसे उसकी नई नियुक्ति से तुरंत पहले उसके द्वारा रखे गए पद पर वापस कर सकता है, बशर्ते वह उस पर ग्रहणाधिकार रखता हो या अन्य मामलों में उसे सेवा से छुट्टी दे सकता है या समाप्त कर सकता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त ओ. एम. के पैरा 14 के अनुसार, परिवीक्षाधीन अवधि के दौरान या उसके अंत में सेवा से वापस या छुट्टी पाने वाला परिवीक्षाधीन किसी भी मुआवजे का हकदार नहीं होगा।

ई.

3.3 यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में, जब प्रत्यर्थी को एन. टी. आर. ओ. में सीधी भर्ती के रूप में नियुक्त किया गया था, तो उसे परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त किया गया था और उसने डी. आर. डी. ओ. से तकनीकी त्यागपत्र दे दिया था, हालांकि, उसका ग्रहणाधिकार डी. आर. डी. ओ. के साथ जारी रहा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, परिवीक्षा अवधि के दौरान, जब उसका काम संतोषजनक नहीं पाया गया, तो ए. सी. सी. द्वारा उसे मूल विभाग, यानी डी. आर. डी. ओ. में वापस करने के लिए एक सचेत निर्णय लिया गया, जहां उसके पास ग्रहणाधिकार बना रहा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, प्रत्यर्थी को उसके मूल मूल विभाग-डी. आर. डी. ओ. को वापस भेजना, जो परिवीक्षा अवधि के दौरान था जब वह एन. टी. आर. ओ. के साथ काम कर रही थी, डी. ओ. पी. टी. ओ. एम. दिनांक 21.07.2014 के अनुरूप था।

एफ.

जी.

3.4 यह प्रस्तुत किया जाता है कि एफ. आर.-9 (13) के अनुसार 'ग्रहणाधिकार' शब्द का अर्थ है एक सरकारी कर्मचारी की उपाधि जो नियमित रूप से धारण करता है, या तो ए  
एच.

375

राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन बनाम दीप्ति देवधर [एम. आर. शाह, जे.] ए.

तत्काल या अनुपस्थिति की अवधि या अवधि की समाप्ति पर, एक पद, जिसमें एक कार्यकाल पद भी शामिल है, जिसके लिए उसे नियमित आधार पर नियुक्त किया गया है और जिसके लिए वह परिवीक्षा पर नहीं है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि डी. ओ. पी. टी. ओ. एम. दिनांक 17.08.2016 (तकनीकी त्यागपत्र और ग्रहणाधिकार) में निर्धारित किया गया है कि तकनीकी त्यागपत्र पर, मूल आधार पर सरकारी कर्मचारी द्वारा धारण किए गए पद में वरिष्ठता की रक्षा की जाती है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, तकनीकी त्याग पर, प्रत्यर्थी की वरिष्ठता को डी. आर. डी. ओ. में साइंटिस्ट-जी के रूप में संरक्षित किया जाता रहा।

बी.

3.5 सुश्री भाटी, विद्वान ए. एस. जी. ने हमें डी. ओ. पी. टी. ओ. एम. दिनांक 17.08.2016 के प्रासंगिक पैरास पर ले जाया है, विशेष रूप से, पैरा 2.6, 3.1, 3 (बी), 3.3 और 3.4। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए किसी अन्य केंद्र सरकार के विभाग/कार्यालय/राज्य सरकार में नियुक्त एक स्थायी सरकारी कर्मचारी को अपने मूल विभाग से इस्तीफा देना पड़ता है, जब तक कि वह 2 साल या 3 साल की अवधि के भीतर उस विभाग में वापस नहीं आ जाता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि किसी भी परिस्थिति में, पर्याप्त रूप से आयोजित पद पर ग्रहणाधिकार को उसकी सहमति से भी समाप्त नहीं किया जा सकता है, अगर परिणाम यह होगा कि उसे स्थायी पद पर ग्रहणाधिकार के बिना छोड़ दिया जाएगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में, प्रत्यर्थी एक स्थायी सरकारी कर्मचारी होने के नाते और डी. आर. डी. ओ. में साइंटिस्ट-जी के पद पर ग्रहणाधिकार रखने के कारण, सी. सी. एस. (पेंशन) नियम, 1972 के तहत साइंटिस्ट-एच (परिवीक्षा पर) के रूप में पेंशन लाभ के लिए योग्यता सेवा का लाभ नहीं उठा सकती है, क्योंकि वह एन. टी. आर. ओ. में साइंटिस्ट-एच के पद के खिलाफ परिवीक्षा के दौरान अस्थायी सेवा पर थी।

सी.

डी.

ई.

3.6 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि सी. सी. एस. (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 13 के अनुसार, इन नियमों के प्रावधानों के अधीन, एक सरकारी कर्मचारी की अर्हता सेवा उस तारीख से शुरू होगी जब वह उस पद का प्रभार संभालता है जिस पर उसे पहली बार या तो मूल रूप से या किसी कार्यवाहक या अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है कि कार्यवाहक या अस्थायी सेवा का पालन बिना किसी रुकावट के उसी या किसी अन्य सेवा या पद में मूल नियुक्ति द्वारा किया जाता है।

एफ.

3.7 यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, उच्च न्यायालय ने यह निर्देश देने में भौतिक रूप से गलती की है कि प्रत्यर्थी सभी परिणामी लाभों का हकदार है, जिसमें पिछली सेवा का लाभ भी शामिल है जो उसने अपने अंतिम लाभों की गणना करने के लिए डी. आर. डी. ओ. में प्रदान किया था और उसके निर्वहन को एन. टी. आर. ओ. के साथ सेवा से निर्वहन सरलता के रूप में माना था।

जी.

4. वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गोपाल शंकरनारायणन ने वर्तमान अपील का विरोध करते हुए कहा है कि तथ्यों में

एच.

376

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 2 एस सी आर।

और मामले की परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय द्वारा दिनांकित 12.02.2019 संचार को निर्वहन सरलीकरण के रूप में मानने और उसके बाद डी. आर. डी. ओ. में प्रदान की गई उनकी पिछली सेवा पर विचार करते हुए एन. टी. आर. ओ. से वैज्ञानिक 'एच' के रूप में अंतिम लाभों पर विचार करने और/या अनुदान देने के निर्देश में कोई त्रुटि नहीं की गई है।

4.1 यह विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गोपाल शंकरनारायणन द्वारा जोरदार रूप से प्रस्तुत किया गया है कि एन. टी. आर. ओ. ने दिनांक 1 के संचार के माध्यम से प्रतिवादी को अचानक वैज्ञानिक-जी के रूप में डी. आर. डी. ओ. को वापस भेज दिया। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जब प्रत्यर्थी को एन. टी. आर. ओ. के साथ वैज्ञानिक-एच के रूप में सीधी भर्ती के रूप में नियुक्त किया गया था और वह 2 साल की अवधि के लिए परिवीक्षा पर थी, तो उसके बाद उसे डी. आर. डी. ओ. में वापस नहीं भेजा जा सकता था और वह भी एक निचले पद, यानी वैज्ञानिक-जी. पर।

बी.

सी.

4.2 यह प्रस्तुत किया जाता है कि 12.02.2019 के बाद, शुरू से ही प्रत्यर्थी ने वैज्ञानिक-एच के रूप में डी. आर. डी. ओ. के साथ भी नियुक्ति/नियुक्ति के लिए जोर दिया, जो विभिन्न संचारों से स्पष्ट होगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जब प्रत्यर्थी को सी. ए. आई. आर., डी. आर. डी. ओ. में साइंटिस्ट-जी नामक निचले पद पर वापस भेजा गया था और जब उसे सी. ए. आई. आर., डी. आर. डी. ओ. में साइंटिस्ट-एच के पद पर नियुक्त करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया था, तो प्रत्यर्थी तीन महीने की छुट्टी पर चला गया। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसके बाद वह पूरे समय छुट्टी पर रहें और कभी भी सी. ए. आई. आर., डी. आर. डी. ओ. में वैज्ञानिक-जी के रूप में काम नहीं किया।

डी.

4.3 यह प्रस्तुत किया जाता है कि वैज्ञानिक-एच के पद पर पदोन्नति/नियुक्ति के लिए डी. आर. डी. ओ. को जैव-डेटा देना भी प्रत्यर्थी के रास्ते में नहीं आएगा क्योंकि वास्तव में वह अपना जैव डेटा जमा करने के लिए मजबूर थी।

ई.

4.4 यह प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलार्थी ने भी प्रत्यर्थी को कुछ निर्देश दिए, जो 24.04.2019 पर प्राप्त हुए, जिसमें उसे निदेशक सी. ए. आई. आर., डी. आर. डी. ओ. के माध्यम से छुट्टी के लिए आवेदन करने के लिए कहा गया और प्रत्यर्थी ने 13.02.2019 से 28.06.2019 तक 3 महीने की छुट्टी के लिए आवेदन किया। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वास्तव में प्रत्यर्थी ने स्पष्ट किया था कि उसने 13.02.2019 से 28.06.2019 तक अर्जित अवकाश की मांग की थी।

एफ.

4.5 यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रत्यर्थी ने पदोन्नति बोर्ड में भाग लेने का विकल्प चुना क्योंकि उसे ऐसा करने का निर्देश दिया गया था और उसके पास इस मामले में कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने एक दिन के बेहद कम समय के नोटिस पर बिना तैयारी के भाग लिया; क्योंकि ऐसा करने में विफलता अनुशासनात्मक कार्रवाई को आमंत्रित कर सकती थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि एन. टी. आर. ओ. के दिनांकित 12.09.2019 आदेश के खिलाफ उसकी शिकायत का समाधान होने तक, जिसे उसने औपचारिक रूप से अपने वरिष्ठों को मौखिक और लिखित रूप में सूचित किया था, प्रत्यर्थी उसे जारी किए गए प्रत्येक सरकारी आदेश का पालन करने के लिए बाध्य था।

जी.

एच.

राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन बनाम दीप्ति देवधर [एम. आर. शाह, जे.] ए.

ए.

4.6 यह प्रस्तुत किया जाता है कि पदोन्नति बोर्ड को प्रस्तुत किए गए अपने बायो-डेटा में, उन्होंने विशेष रूप से कहा कि वह छुट्टी पर रहते हुए बोर्ड में भाग ले रही थीं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त जैव-डेटा में उनके द्वारा यह कहा गया था कि उन्हें सी. ए. आई. आर. से 29.03.2019 पर एक पत्र मिला है, जिसमें कहा गया है कि उन्हें सी. ए. आई. आर., डी. आर. डी. ओ. में वैज्ञानिक जी के पद पर नियुक्त किया गया है। यह केवल तथ्य का एक बयान था और इसे प्रतिवादी द्वारा उसे साइंटिस्ट-जी के रूप में नियुक्त करने के डी. आर. डी. ओ. के अमान्य आदेश की स्वीकृति के रूप में नहीं कहा जा सकता है।

बी.

4.7 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि एन. टी. आर. ओ. के साथ साइंटिस्ट-एच के रूप में काम करने के बाद, जो एक सीधी भर्ती थी, वह साइंटिस्ट-जी के रूप में अपने मूल विभाग-डी. आर. डी. ओ. में वापस नहीं आ सकती थी।

सी.

4.8 अब, जहाँ तक डी. आर. डी. ओ. के साथ उसके ग्रहणाधिकार के जारी रहने पर अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत करने का संबंध है, यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त प्रावधान प्रत्यर्थी के पक्ष में है और यह प्रत्यर्थी/कर्मचारी है, जिसे ग्रहणाधिकार जारी रखने का विवेकाधिकार था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि कोई स्वचालित ग्रहणाधिकार नहीं हो सकता है, वह भी नियोक्ता और/या बाद के नियोक्ता के कहने पर। यह प्रस्तुत किया जाता है कि ग्रहणाधिकार एक सरकारी कर्मचारी का अधिकार है और यह प्रत्यर्थी के विकल्प पर है और प्रत्यर्थी को अपने ग्रहणाधिकार का प्रयोग करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।

डी.

**4.9** राज्य के मामले में इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा करना

राजस्थान और अन्न. बनाम एस. एन. तिवारी और अन्य, (2009) 4 एससीसी 700 (पैरा 17 और 19) और रामलाल खुराना (मृत) एलआर द्वारा। बनाम पंजाब राज्य और अन्य, (1989) 4 एस. सी. सी. 99 (पैरा 8), इसे जोरदार तरीके से प्रस्तुत किया जाता है।

ई.

कि जैसा कि इस न्यायालय द्वारा देखा और अभिनिर्धारित किया गया है, ग्रहणाधिकार पूरी तरह से कर्मचारी के विवेक पर है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, एक नियोक्ता एक

कर्मचारी पर ग्रहणाधिकार नहीं लगा सकता है, क्योंकि इसका कर्मचारी की स्थिति और संभावनाओं पर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा।

एफ.

4.10 प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि अन्यथा भी, प्रतिवादी वैज्ञानिक-एच के रूप में अंतिम वेतन पर पेंशन का हकदार है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यद्यपि एन. टी. आर. ओ. नियुक्ति की शर्तें सी. सी. एस. (अस्थायी सेवा) नियम, 1965 के तहत प्रत्यर्थी की सेवा को समाप्त करने योग्य होने को संदर्भित करती हैं, उक्त नियमों में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि प्रत्यर्थी अंतिम वेतन के आधार पर पेंशन का हकदार नहीं है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि सी. सी. एस. (अस्थायी सेवा) नियम, 1965 उन कर्मचारियों पर लागू होंगे जो भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के तहत किसी भी पद पर ग्रहणाधिकार या निलंबित ग्रहणाधिकार नहीं रखते हैं।

जी.

एच.

378

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 2 एस सी आर।

4.11 यह प्रस्तुत किया जाता है कि सी. सी. एस. (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 2 के अनुसार, पेंशन नियमों के आवेदन में अस्थायी और स्थायी कर्मचारियों के बीच कोई अंतर नहीं है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि पेंशन नियमों के नियम 13 के अनुसार, एक सरकारी कर्मचारी की योग्यता सेवा उस तारीख से शुरू होती है जब वह उस पद का कार्यभार संभालता है जिस पर उसे पहली बार नियुक्त किया जाता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में, प्रत्यर्थी को पहली बार 12.09.1988 पर पर्याप्त रूप से नियुक्त किया गया था। वह इस तारीख को वैज्ञानिक 'बी' के प्रवेश ग्रेड में डी. आर. डी. ओ. में शामिल हुई और दो साल बाद उनकी परीक्षा की पुष्टि हुई। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, प्रत्यर्थी की योग्यता सेवा 12.09.1988 से शुरू होती है, यानी जिस तारीख को उसने उस पद का कार्यभार संभाला था जिस पर उसे पहली बार नियुक्त किया गया था।

बी.

सी.

4.12 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए, वर्तमान अपील को खारिज करने का अनुरोध किया जाता है।

5. हमने संबंधित पक्षों की ओर से विद्वान अधिवक्ता को विस्तार से उपस्थित होते हुए सुना है।

डी.

6. विवादित निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी द्वारा यहां प्रस्तुत रिट याचिका को स्वीकार कर लिया है और ओ. ए. को खारिज करते हुए केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा पारित निर्णय और आदेश को रद्द कर दिया है और एन. टी. आर. ओ. द्वारा जारी दिनांकित आदेश को संशोधित किया है और निर्देश दिया है कि इसे निर्वहन के आदेश के रूप में माना जाए और माना जाए। विवादित निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया है कि दिनांक 1 के आदेश के तहत, मूल रिट याचिकाकर्ता-प्रत्यर्थी की सेवाएं समाप्त हो जाएंगी और वह सभी परिणामी लाभों की हकदार होगी, जिसमें पिछली सेवाओं का लाभ भी शामिल है जो उसने अपने अंतिम लाभों की गणना करने के लिए डी. आर. डी. ओ. में प्रदान की थी। उच्च न्यायालय ने आगे स्पष्ट किया है कि प्रत्यर्थी-मूल रिट याचिकाकर्ता इस आधार पर ऐसे सभी लाभों का हकदार होगा जो उसे इस आधार पर स्वीकार्य हैं कि उसने वैज्ञानिक-एच का पद संभाला था और उस पद पर अंतिम वेतन उसके सभी लाभों के निपटारे के लिए मानदंड होगा। 6.1 एन. टी. आर. ओ. के आग्रह पर उपरोक्त निर्देशों की चुनौती पर विचार करते समय, कुछ स्पष्ट तिथियों और घटनाओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जो नीचे दिए गए हैं:-

ई.

एफ.

जी.

(i) कि इसमें प्रत्यर्थी-मूल रिट याचिकाकर्ता डी. आर. डी. ओ. में साइंटिस्ट-जी के रूप में कार्यरत था। एन. टी. आर. ओ. द्वारा वैज्ञानिक-एच के पद के लिए ए. की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे।

एच.

379

राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन बनाम दीप्ति देवधर [एम. आर. शाह, जे.] ए.

प्रत्यक्ष भर्ती के रूप में। प्रत्यर्थी-मूल रिट याचिकाकर्ता ने उक्त पद के लिए आवेदन किया और ए. सी. सी. दिनांक 10.05.2018 के अनुमोदन पर एन. टी. आर. ओ. में वैज्ञानिक-एच के रूप में नियुक्त किया गया। मूल रिट याचिकाकर्ता को एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा सहित नियम और शर्तों को निर्धारित करते हुए दिनांक 11.05.2018 की नियुक्ति का प्रस्ताव दिया गया था। (ii) चूंकि प्रतिवादी-मूल रिट याचिकाकर्ता को किसी अन्य सरकारी

संगठन में नियुक्त किया गया था, इसलिए उन्हें तकनीकी त्यागपत्र देने की आवश्यकता थी, जिसे उन्होंने डी. आर. डी. ओ. में वैज्ञानिक-जी के पद से तकनीकी त्यागपत्र जमा करके दिया, जिसे 22.06.2018 पर स्वीकार कर लिया गया और डी. आर. डी. ओ. ने उन्हें एन. टी. आर. ओ. में नई नियुक्ति लेने के लिए मुक्त कर दिया। हालांकि, तकनीकी त्यागपत्र जमा करने पर, डी. आर. डी. ओ. में वैज्ञानिक-जी के पद पर प्रत्यर्थी का ग्रहणाधिकार संबंधित ओ. एम. के अनुसार जारी रहा।

बी.

सी.

(iii) इस स्तर पर, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि जिस पद से वह परिवीक्षा पर केंद्र/राज्य के किसी अन्य संगठन में अपनी नियुक्ति पर काम कर रहा था, उस पद से तकनीकी त्यागपत्र देना और नए संगठन में परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूरी होने और/या नए प्रतिष्ठान में स्थायी रूप से नियुक्त होने तक ग्रहणाधिकार जारी रखना, कर्मचारी के हित में और संबंधित कर्मचारी के लाभ के लिए कहा जा सकता है ताकि यदि उसे स्थायी नहीं बनाया जाता है और/या परिवीक्षा अवधि के दौरान मुक्त नहीं किया जाता है, तो उसे नौकरी नहीं छोड़नी पड़ सकती है और वह वापस जा सकती है और पहले के प्रतिष्ठान में कर्तव्य में शामिल हो सकती है। इन परिस्थितियों में, एन. टी. आर. ओ. में वैज्ञानिक-एच के रूप में परिवीक्षा पर उनकी नियुक्ति पर डी. आर. डी. ओ. में वैज्ञानिक-जी के पद से तकनीकी त्यागपत्र जमा करने पर, उनके पास डी. आर. डी. ओ. में वैज्ञानिक-जी के पद पर ग्रहणाधिकार बना रहा।

डी.

ई.

एफ.

((iv) परिवीक्षा अवधि के दौरान, ऐसा प्रतीत होता है कि उनका काम संतोषजनक नहीं पाया गया और ए. सी. सी. द्वारा उन्हें एन. टी. आर. ओ. में जारी नहीं रखने और उन्हें एन. टी. आर. ओ. में वैज्ञानिक-एच के रूप में मुक्त करने और उन्हें वैज्ञानिक-जी के पद पर उनके मूल विभाग-डी. आर. डी. ओ. में वापस भेजने का एक सचेत निर्णय लिया गया, जैसा कि ऊपर देखा गया है। प्रत्यर्थी -

जी.

एच.

मूल रिट याचिकाकर्ता को एन. टी. आर. ओ. में वैज्ञानिक-एच. (परिवीक्षा) के पद से उसके मूल संवर्ग-डी. आर. डी. ओ. में उसके पूर्व-परिपक्व प्रत्यावर्तन के लिए प्राप्त ए. सी. सी. की मंजूरी पर एन. टी. आर. ओ. से मुक्त कर दिया गया। वास्तव में, इसके बाद, प्रत्यर्थी ने सी. ए. आई. आर., डी. आर. डी. ओ. में 13.02.2019 पर ही ड्यूटी के लिए रिपोर्ट किया। हालाँकि, साथ ही, उन्होंने अनुरोध किया कि उन्हें डी. आर. डी. ओ. में एक उपयुक्त पद पर नियुक्त किया जा सकता है। कोई आदेश पारित नहीं किया गया और वह 13.02.2019 पर और उसके बाद भी डी. आर. डी. ओ. की कर्मचारी बनी रही। इसके बाद, वह डी. आर. डी. ओ. में साइंटिस्ट-जी के रूप में तीन महीने की छुट्टी पर चली गई। इसलिए, एक बार जब उन्होंने सी. ए. आई. आर., डी. आर. डी. ओ. में ड्यूटी के लिए रिपोर्ट किया और वे सी. ए. आई. आर., डी. आर. डी. ओ. में वैज्ञानिक-जी के रूप में तीन महीने के लिए छुट्टी पर चली गई, उस पद पर जो पहले उनके पास था, यानी वैज्ञानिक-जी, जिस पर डी. आर. डी. ओ. में उनका ग्रहणाधिकार पहले तकनीकी त्यागपत्र जमा करने पर जारी रहा, वह एन. टी. आर. ओ. की कर्मचारी नहीं रह गई और वह भी एन. टी. आर. ओ. में वैज्ञानिक-एच के रूप में।

बी.

सी.

डी.

(V) इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि इसके बाद भी, प्रत्यर्थी ने एन. टी. आर. ओ. से उसे बहाल करने और उसके आवेदन दिनांक 19.03.2019 को वी. आर. एस. के लिए तीन महीने के नोटिस के रूप में मानने का अनुरोध किया। इसलिए, एन. टी. आर. ओ. में बहाली के लिए उनके अनुरोध से ही पता चलता है कि प्रत्यर्थी-मूल रिट याचिकाकर्ता को एन. टी. आर. ओ. से मुक्त कर दिया गया था और तभी बहाली का सवाल उठेगा।

ई.

(vi) इसके बाद, प्रत्यर्थी-मूल रिट याचिकाकर्ता ने वैज्ञानिक-एच के रूप में नियुक्ति/नियुक्ति पर जोर दिया। वैज्ञानिक-एच के पद पर पदोन्नति के लिए उनके मामले पर भर्ती मूल्यांकन केंद्र द्वारा विचार किया गया। उन्होंने वैज्ञानिक-एच के पद पर पदोन्नति के लिए निदेशक, भर्ती मूल्यांकन केंद्र को आवेदन प्रस्तुत किया। उन्होंने अपना बायो-डेटा भेजा। उन्होंने हैदराबाद में प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए रिपोर्ट किया। इसके बाद, उन्हें डी. आर. डी. ओ. में वैज्ञानिक-एच के पद पर पदोन्नति के लिए "उपयुक्त नहीं" पाया गया। बायो-डेटा में, उन्होंने विशेष रूप से कहा कि वह साइंटिस्ट-जी के रूप में काम कर रही हैं। प्रत्यर्थी की ओर से स्थापित किया गया मामला कि उन्हें बायो-डेटा जमा करने के लिए मजबूर किया गया था और/या साइंटिस्ट-एच के पद पर पदोन्नति के लिए मूल्यांकन के लिए उपस्थित होने के लिए मजबूर किया गया था, स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

एफ.

जी.

एच.

381

राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन बनाम दीप्ति देवधर [एम. आर. शाह, जे.] ए.

ए.

उस समय ऐसी कोई शिकायत नहीं की गई थी जब वह डी. आर. डी. ओ. में वैज्ञानिक-एच के पद पर पदोन्नति के लिए साक्षात्कार के लिए उपस्थित हुई थीं। उन्होंने साइंटिस्ट-जी के रूप में 13.02.2019 से 28.06.2019 तक छुट्टी/अर्जित छुट्टी के लिए आवेदन किया और उसके बाद भी, उन्होंने चालीस दिनों की छुट्टी विस्तार के लिए आवेदन किया।

6.2 उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यह देखा जा सकता है कि प्रत्यर्थी को डी. आर. डी. ओ. का कर्मचारी कहा जा सकता है और किसी भी मामले में, उसे एन. टी. आर. ओ. में और/या एन. टी. आर. ओ. में जारी नहीं रखा जा सकता है, उसे एन. टी. आर. ओ. का कर्मचारी नहीं माना जा सकता है। मामले के उस दृष्टिकोण में, उच्च न्यायालय ने उपरोक्त निर्देश जारी करने में एक बहुत ही गंभीर त्रुटि की है, विशेष रूप से, दिनांकित 12.02.2019 को निर्वहन सरलीकरण के आदेश के रूप में माना गया है। उच्च न्यायालय ने यह आदेश देने में भी बहुत गंभीर त्रुटि की है कि दिनांक 1 के आदेश के तहत, मूल रिट याचिकाकर्ता-प्रत्यर्थी की सेवाएं समाप्त हो जाएंगी और वह सभी परिणामी लाभों की हकदार होगी, जिसमें पिछली सेवाओं का लाभ भी शामिल है जो उसने अपने अंतिम लाभों की गणना करने के लिए डी. आर. डी. ओ. में प्रदान की थी। हम इस बात की सराहना करने में विफल हैं कि किस प्रावधान के तहत उच्च न्यायालय ने ऐसा निर्देश जारी किया है कि वह एनटीआरओ द्वारा भुगतान किए जाने वाले अपने अंतिम लाभों की गणना करने के लिए डी. आर. डी. ओ. में प्रदान की गई पिछली सेवाओं के लाभ सहित सभी परिणामी लाभों की हकदार होगी। उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देश स्व-विरोधाभासी हैं।

बी.

सी.

डी.

ई.

6.3 अन्यथा भी, उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी करते हुए एक गंभीर त्रुटि की है कि मूल रिट याचिकाकर्ता-प्रत्यर्थी इस आधार पर ऐसे सभी लाभों का हकदार होगा जो उसे इस आधार पर अनुमत हैं कि वह वैज्ञानिक-एच के पद पर थी और उस पद पर प्राप्त अंतिम वेतन उसके

सभी लाभों के निपटारे के लिए मानदंड होगा। एक बार, उन्हें एन. टी. आर. ओ. से मुक्त कर दिया गया और उन्होंने डी. आर. डी. ओ. में साइंटिस्ट-जी के रूप में ड्यूटी के लिए रिपोर्ट किया था, जैसा कि ऊपर देखा गया है, उसके बाद उन्हें यह दावा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि उन्होंने एन. टी. आर. ओ. में साइंटिस्ट-एच के रूप में काम करना जारी रखा था।

एफ.

6.4 अन्यथा भी, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि प्रत्यर्थी को परिवीक्षा पर एक सीधी भर्ती के रूप में एन. टी. आर. ओ. में वैज्ञानिक-एच के रूप में नियुक्त किया गया था और उसकी परिवीक्षा अवधि पूरी नहीं हुई थी। उसकी परिवीक्षा अवधि पूरी होने/खत्म होने से पहले, उसे मुक्त कर दिया गया था। इसलिए, सी. सी. एस. (पेंशन) नियम, 1972 के अनुसार भी, उन्हें एन. टी. आर. ओ. में वैज्ञानिक-एच के रूप में पेंशन लाभ/अंतिम लाभ नहीं दिए जा सकते थे।

जी.

एच.

382

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 2 एस सी आर।

7. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश अस्थिर है और इसे रद्द करने और दरकिनार करने के योग्य है और तदनुसार रद्द कर दिया जाता है और दरकिनार कर दिया जाता है और कैट द्वारा पारित निर्णय और आदेश को बहाल किया जाता है। हालाँकि, पूर्ण न्याय करने के लिए, हम निर्देश देते हैं कि यदि मूल रिट याचिकाकर्ता-यहाँ प्रत्यर्थी चाहता है, तो वह अपने वी. आर. एस. आवेदन को स्वीकार करने के लिए प्रार्थना कर सकती है, जिस पर डी. आर. डी. ओ. द्वारा विचार किया जा सकता है। यदि वह स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त होने के लिए अपने वी. आर. एस. आवेदन पर दबाव डालती है, तो इसे सकारात्मक माना जा सकता है। हालाँकि, वैज्ञानिक-जी के पद पर डी. आर. डी. ओ. द्वारा भी ऐसा ही किया जाएगा ताकि प्रत्यर्थी को अन्य सभी लाभ मिल सकें, जो उसके स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति आवेदन को स्वीकार करने पर उसे उपलब्ध हो सकते हैं, अन्यथा भी, उसके पास डी. आर. डी. ओ. में वैज्ञानिक-जी के पद पर ग्रहणाधिकार बना रहा, जैसा कि यहाँ ऊपर देखा गया है। इसके साथ, वर्तमान अपील को अनुमति दी जाती है। हालाँकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

बी.

सी.

डी.

दिव्या पांडे

अपील की अनुमति दी गई।

(सहायक: अभिषेक प्रताप सिंह और रूपांशी विरंग, एलसीआरए)

ई.

एफ.

जी.

एच.